

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 26 अ-82/2019-20 -कचरबोह/5337

बैतूल दिनांक 9 / 08 / 2020

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

| जिला           | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------------|-------|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| 1              | 2     | 3         | 4                               | 5                          |
| बैतूल (म.प्र.) | आमला  | कचरबोह    | 4.824                           | पसतलई लघु जलाशय            |

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

| क्र. | खसरा नं. | कुल रकबा | कुल अर्जित रकबा हे. | धारक का नाम   |
|------|----------|----------|---------------------|---|
| 1    | 2        | 3        | 4                   | 5   |
| 1    | 167/1    | 1.000    | 0.200               | गजानंद व. बालकिशन   |
| 2    | 216/3    | 0.780    | 0.070               | गितेश सतीश गुलाब व. हनस हनस व. लोधू   |
|      | 216/19   | 0.700    | 0.700               |   |
|      | 216/17   | 0.530    | 0.130               |   |
| 3    | 24/1     | 0.230    | 0.040               | मुकेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी                         |
| 4    | 24/2     | 1.767    | 0.530               | हरीप्रसाद, छोटेलाल जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व                 |
| 5    | 24/3     | 0.230    | 0.060               | कमलेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी                         |
|      | 24/5     | 0.210    | 0.190               |   |
| 6    | 24/7     | 0.510    | 0.140               | झाडु वल्द बाबुलाल जाति गौली पता सा. देह भूमि  |
| 7    | 167/3    | 1.470    | 0.070               | बालमुकुन्द वल्द कालू जाति गौली पता निवासी ग्राम पस्तलाईमाल भूमि स्वामी भु.रा.शा.    |
| 8    | 167/4    | 0.185    | 0.140               | कुसमा बेवा कालू शांता पिता कालू जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु.रा.शा.    |
| 9    | 216/1    | 0.364    | 0.264               | रामू पिता मंगल पता सा.देह भूमि स्वामी   |
| 10   | 216/5    | 0.364    | 0.210               | बुद्ध सुदन वल्द अम्मरलाल गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी                               |
|      | 216/7    | 0.202    | 0.180               |   |
|      | 216/12   | 1.214    | 0.260               |   |
| 11   | 216/6    | 1.073    | 0.630               | रमिया बेवा अमरू, रमेश, सुरेश, अमरू, रसिया सुगरती पिता अमरू, पता सा. देह भूमि स्वामी |
|      | 216/8    | 0.627    | 0.070               |   |

| क्र.   | खसरा नं. | कुल रकबा | कुल अर्जित रकबा हे. | धारक का नाम   |
|--------|----------|----------|---------------------|---|
| 1      | 2        | 3        | 4                   | 5   |
|        | 216/10   | 1.586    | 0.080               |   |
|        | 216/13   | 1.287    | 0.330               |   |
| 12     | 224/2    | 0.826    | 0.060               | छन्नू वल्द सम्मु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि  |
| 13     | 224/5    | 0.207    | 0.080               | ईमरतलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी                                  |
| 14     | 224/6    | 0.206    | 0.110               | हम्मीलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी                                  |
| 15     | 224/7    | 0.206    | 0.120               | देवीलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी                                  |
| 16     | 224/8    | 0.206    | 0.160               | मुन्नीलाल ना.बा. वल्द रवनु वली मां तुलसी बेवा रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| महायोग |          | 15.980   | 4.824               |   |

1. चूंकि पसतलई लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार



(राकेश सिंह) 2/6/23  
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग